



परिवहन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2010–2011



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला–171004

प्राक्कथन

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है । यहां पर रेल सम्पर्क मार्ग नगण्य के बराबर है तथा राज्य के अधिकांश क्षेत्र सड़क मार्गों से ही जुड़े हुए हैं ।

नई सड़कों का निर्माण होने के कारण लोगों द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा इस बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में भी बस रूट परमिट जारी करने की योजना जारी की गई है । इस योजना के अन्तर्गत सभी सड़कों से जुड़े गांव, कस्बों को यह सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ जनता को अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है ।

निदेशक परिवहन,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-4.

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010–2011

हिमाचल प्रदेश सरकार

1.	विभाग का नाम	परिवहन विभाग	
2.	विभाग के मन्त्री	श्री महेन्द्र सिंह	01.04.2010 से 31.03.2011
3.	विभाग के सचिव	श्री पी०सी० कपूर, भा०प्र०से० प्रधान सचिव (परिवहन)	01.04.2010 से 03.06.2010
		श्री टी० जी० नेगी, भा०प्र०से० प्रधान सचिव (परिवहन)	03.06.2010 से 31.03.2011
4.	विभाग के प्रमुख	श्री ध्रुव विंश्ट, भा०प्र०से०	01.04.2010 से 31.03.2011

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य जानकारी	1
2.	विभागीय संगठन	2-3
3.	वार्षिक कार्यवाही योजना, मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें तथा उपलब्धियां	4-7
4.	परिवहन प्राधिकरण	7
5.	राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण	7
6.	राज्य परिवहन प्राधिकरण	7-8
7.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण	8-9
8.	परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली	9
9.	राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य	9-10
10.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्य	10-11
11.	विभाग के वित्तीय आंकड़े	11-12
12.	बस अड्डों तथा वर्षा शालिकाओं का निर्माण	12
13.	यात्री अनुग्रह योजना	13
14.	वाहनों के निरीक्षण उपरान्त पासिंग	13-14
15.	प्रदूषण चैकिंग	14-16
16.	चालक प्रशिक्षण स्कूल नॉन ट्रांसपोर्ट व ट्रांसपोर्ट श्रेणी	16-19

सामान्य जानकारी

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश देश का मुकुट है जो हिमालय की गोद में स्थित है । इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पूर्व में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड, दक्षिण में हरियाणा तथा पश्चिम में पंजाब स्थित है ।

वैसे तो सड़क परिवहन पूरे देश में ही यातायात का प्रमुख साधन है परन्तु हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां रेल व जल परिवहन केवल नाम मात्र ही है। सड़क परिवहन का प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है ।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का गठन 1949 में हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश एक केन्द्र शासित प्रदेश था। 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् प्रदेश में नये परिवहन प्राधिकरण का गठन हुआ । 2 अक्टूबर, 1974 को हिमाचल राज्य परिवहन (एच0जी0टी0.) से इसका पुनर्गठन करके परिवहन विभाग का स्वरूप दिया गया तथा आयुक्त परिवहन की भी नियुक्ति की गई । 13 जनवरी, 1975 को परिवहन विभाग तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्यालयों का एकीकरण किया गया व आयुक्त परिवहन को इस विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

प्रदेश में सड़क परिवहन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है जिसका सहज आभास इस आधार पर हो सकता है कि 1990-91 में प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 67103 थी, जो अब बढ़कर 6,21,714 हो गई है । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2008-2009 में परिवहन क्षेत्र में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां रू0163.01 करोड़ हो गई है। प्रदेश में 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यरत हैं। वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने के लिए 3 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) के कार्यालय िमला कुल्लू तथा धर्मशाला में कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर 11 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ए0आर0टी0ओ0) बैरियर स्थापित हैं। इन बैरियरों की स्थापना के फलस्वरूप काफी हद तक प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन पर रोक लगी है और साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई है ।

विभाग परिवहन के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है ।

विभाग अपने कर्तव्यों का निष्पादन निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत करता है :-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989
3. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972
4. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1974
5. हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999
6. यात्री अनुग्रह अनुदान योजना

विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा

निदेशक परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं । निदेशालय में उप-निदेशक परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) नियुक्त हैं । इसके अतिरिक्त विभाग का कार्य सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए सहायक नियन्त्रक, (वित्त एवं लेखा) पदस्थ हैं । सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्यालय भी निदेशालय में ही स्थित है जोकि अतिरिक्त आयुक्त परिवहन का कार्य भी देखते हैं ।

परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने की दृष्टि से प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपने-अपने जिले के कार्यों की देख-भाल करते हैं । वह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले राजस्व जिले
1.	शिमला	शिमला व किन्नौर
2.	सोलन	सोलन
3.	मण्डी	मण्डी
4.	हमीरपुर	हमीरपुर
5.	कुल्लू	कुल्लू व लाहौल एवं स्पिति
6.	धर्मशाला	कांगड़ा
7.	बिलासपुर	बिलासपुर
8.	चम्बा	चम्बा
9.	ऊना	ऊना
10.	नाहन	सिरमौर

वाहनों के बढ़ते हुए पंजीकरण एवं जनता की सुविधा की दृष्टि से टैक्सियों, अन्य पर्यटन वाहनों तथा यात्री आटो रिक्शा के पंजीकरण को छोड़ कर सभी गाड़ियों के पंजीकरण के लिए उप-मण्डलीय अधिकारी को पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	जिला शिमला	शिमला (शहरी), शिमला (ग्रामीण), रामपुर, रोहडू, टियोग, चौपाल, डोडरा-क्वार
2.	जिला किन्नौर	पूह, कल्या, निचार स्थित भावानगर
3.	जिला सोलन	सोलन, परवाणू, नालागढ़, कण्डाघाट, अर्की
4.	जिला सिरमौर	नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़
5.	जिला ऊना	ऊना, अम्ब
6.	जिला हमीरपुर	हमीरपुर, बड़सर, नदौन तथा भोरंज
7.	जिला मण्डी	मण्डी, करसोग, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर, गोहर, सुन्दरनगर व पधर
8.	जिला कुल्लू	कुल्लू, आनी, बन्जार, मनाली
9.	जिला कांगड़ा	कांगड़ा, देहरा-गोपीपुर, पालमपुर, नूरपुर, धर्मशाला, ज्वाली, बैजनाथ व जयसिंहपुर

10.	जिला बिलासपुर	बिलासपुर व घुमारवीं
11.	जिला लाहौल एवं स्पिति	काज़ा, केलांग व उदयपुर
12.	जिला चम्बा	डलहौजी, चम्बा, भरमौर, पांगी तीसा व चुवाड़ी

टैक्सियों एवं अन्य पर्यटन वाहनों का पंजीकरण सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण व सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2010-2011 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के वाहनों का पंजीकरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1	ट्रक गुडज़ कैरियर	7612
2	कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें	167
3	टैक्सियां	2314
4	मैक्सी कैबज़	1521
5	ऑटो रिक्शा	218
6	स्टेज़ कैरिज बसें	598
7	स्कूटर/मोटर साईकलज़	40757
8	कारें	20385
9	वैन्ज़	396
10	जीपें	619
11	प्राइवेट सर्विस व्हीकलज़	356
12	अन्य वाहन	7473
	कुल	82, 366

इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कार्यन्वयन हेतु विभागीय अधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहते हैं । प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य के फलस्वरूप सैलानियों का आवागमन पूरे वर्ष चला रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रदेश में प्रवेश स्वभाविक है । वाहनों की अधिक आवाजाही से मोटरयान अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन करने की घटनाएँ भी अधिक बढ़ जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा चैकिंग की जाती है । चैकिंग के दौरान किए गए चालानों तथा वसूल की गई समझौता राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

01.04.2010 से 31.03.2011 तक किये गये चालानों की संख्या	समझौता राशि प्राप्त हुई
27480	रु० 4,74,18,000.00

वार्षिक कार्यवाही योजना एवं मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें, उपलब्धियां इत्यादि का विवरण :-

1. विभाग ने इस वर्ष परिवहन नीति के अन्तर्गत ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन क्षेत्रों में 453 नए पथ प्रमाण-पत्र जारी किये । इस प्रकार एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में आम जनता को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई है ।
2. गत वर्ष विभाग ने 133.94 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के मुकाबले रुपये 163.01 का वित्त हासिल किया है ।
3. प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने हेतु विभाग ने प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर परवाणू पावंटा साहिब, स्वारघाट, डमटाल, कण्ठवाल, मैहतपुर, गगरेट, कालाअम्ब, बददी, बरोटीवाला व तुन्नुहट्टी में परिवहन बैरियरों की स्थापना की है, जिससे एक ओर वाहनों का अवैध प्रचलन काफी हद तक रुका है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के राजस्व में मु0 1635.05 लाख की आय हुई है ।
4. परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मोटर वाहन नियमों की उलंघना करने वालों के विरुद्ध 27480 चलान किए व वाणिज्य वाहनों में चालकों द्वारा मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने पर तुरन्त रोक लगा दी गई ताकि दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सके ।
5. विभाग द्वारा परिवहन क्षेत्र में भी रोजगार सृजन किया जा रहा है । इस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 69 लोगों को हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु बस परमिट प्रदान किए गए हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान 53837 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित किया गया ।
6. विभाग यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत है । इस वर्ष हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को बसों की खरीद एवं उनके उचित रख-रखाव के लिए 17.70 करोड़ रुपये की धनराशि (जनरल प्लान) व 10.00 करोड़ रुपये की धनराशि (एससी0एस0पी0) पूंजीनिवेश के रूप में उपलब्ध करवाए गई है ।
7. हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, उनकी प्रतिपूर्ति हेतु मु0 90 करोड़. रू0 भी उपलब्ध करवाए गए हैं । इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभाग ने वर्ष के दौरान 4.90 करोड़ रू0 बसों की खरीद एवं उनके रख-रखाव के लिए निगम को उपलब्ध करवाए हैं ।
8. वर्ष 2009-2010 में विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत वाहन चालकों व वाहन मालिकों के लिए 8 रिक्रै 18 कोर्स करवाए गए ।
9. परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के मार्च माह में वाहनों की चैकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप विभाग ने मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वालों से 4,74,18,000.00 रुपये का राजस्व प्राप्त किया ।
10. ऑन-लाईन राष्ट्रीय परमिट नवीनीकरण व जारी करने हेतु राष्ट्रीय स्कीम को आरम्भ किया गया ।

11. जन साधारण को समयबद्ध सेवा हेतु नागरिक अधिकार पत्र का भुभारम्भ किया गया ।
12. ओवर-लोडिंग को रोकने हेतु 8 भारतोलक यन्त्र प्रदे 1 के विभिन्न बैरियरों में स्थापित किए गए ताकि ओवर-लोडिंग को प्रदे 1 में समाप्त किया जा सके ।
13. भारत सरकार द्वारा ई-गर्वनेस हेतु प्राप्त कमप्यूटर से सम्बंधित यन्त्रों को सभी पंजीयन व अनुज्ञापन प्राधिकरण व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को आवंटित किया गया ।

वर्ष 2010-11 में विभाग में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों की सूची :-

क्र०सं०	पद नाम	भरे हुए पदों की सं०	रिक्त पदों की सं०	कुल पद
1.	निदेशक परिवहन, हि०प्र०से०	1	—	1
2.	अतिरिक्त निदेशक परिवहन एवं सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हि०प्र०से०	1	—	1
3.	उप-निदेशक परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उडनदस्ता, मुख्यालय, हि०प्र०से०	1	—	1
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हि०प्र०से० / विभागीय	9	3	12
5.	सहायक नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा	1	—	1
6.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	—	1
7.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	6	4	10
8.	सहायक आयुक्त, तकनीकी	1	—	1
9.	अनुभाग अधिकारी, एस०ए०एस०	2	1	3
10.	अधीक्षक ग्रेड-II	8	5	13
11.	वरिष्ठ सहायक / क० सहायक	37	7	44
12.	कम्प्युटर आपरेटर	2	—	2
13.	वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक / मोटर वाहन निरीक्षक	12	0	12
14.	निजी सहायक	—	1	1
15.	कनिष्ठ आशु लिपिक	1	—	1
16.	आशु टंकक	5	2	7
17.	कनिष्ठ आडिटर	1	1	2
18.	लिपिक	51	15	66
19.	चालक	8	—	8
20.	दफतरी	1	—	1
21.	चपड़ासी	14	1	15
22.	चौकीदार	2	1	3
23.	जमादार सफाई कर्मचारी	2	—	2
24.	यातायात निरीक्षक	9	3	12
25.	आरक्षी	5	1	6
26.	चालक अनुबन्ध पर	7	—	7
27.	चपड़ासी दैनिक वेतन भोगी	5	—	5
28.	गृह रक्षक दैनिक वेतन भोगी	30	—	30
29.	अंशकालिक कार्यकरता	12	—	12
	कुल	235	45	280

वर्ष 2010-2011 में निम्नलिखित अधिकारी पदस्थ रहे हैं :-

1.	निदेशक परिवहन	1 श्री ध्रुव वशिष्ठ, भा०प्र०से०	01.04.2010 से 31.03.2011
2.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त आयुक्त परिवहन हिमाचल प्रदेश	1 श्री बी०एल० राधव, हि०प्र०से०	01.04.2010 से 31.03.2011

3.	उप-निदेशक परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) हि0प्र0	1 श्री जी0सी0 नेगी हि0प्र0से0	01.04.2010 से 31.03.2011
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला	1. श्री एस0 के0 भारद्वाज, हि0प्र0से0	15.10.2008 से 31.03.2011
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला	1 श्री सती 1 भार्मा, हि0प्र0से0 2 श्री सुखदेव सिंह, हि0प्र0से0	01.04.2010 से 02.06.2010 03.06.2010 से 31.03.2011
6.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी	1 श्री पी0 आर0 वर्मा, हि0प्र0से0 2 श्री डी0 के0 नेगी, हि0प्र0से0	01.04.2010 से 30.11.2010 01.12.2010 से 31.03.2011
7.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू	1. श्री एम0 आर0 धीमान, हि0प्र0से0 2. श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय (अतिरिक्त कार्यभार) 3. श्री पेनू राम, हि0प्र0से0 4. श्री अरुण कुमार भार्मा, हि0प्र0से0	01.04.2010 से 04.06.2010 05.06.2010 से 06.08.2010 19.09.2010 से 04.10.2010 05.10.2010 से 31.03.2011
8.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन	1. कैप्टन रमन शर्मा, हि0प्र0से0 2. श्री एस0 सी0 सकलानी, हि0प्र0से0 3. श्री अरुण कुमार भारद्वाज, हि0प्र0से0	01.04.2010 से 19.05.2010 19.05.2010 से 09.08.2010 09.08.2010 से 31.03.2011
9.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	1. श्री राके 1 वर्मा, हि0प्र0से0 2. श्री सुखदेव सिंह, हि0प्र0से0 3. श्री विनय सिंह, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 4. श्री सुनील भार्मा, विभागीय	01.04.2010 से 17.05.2010 24.05.2010 से 02.06.2010 03.06.2010 से 09.08.2010 09.08.2010 से 31.03.2011
10	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़नदस्ता) धर्म शाला	1 श्री सती 1 भार्मा, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 2 श्री विनय सिंह ठाकुर, हि0प्र0से0	01.04.2010 से 27.02.2011 28.02.2011 से 31.03.2011
11	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) कुल्लू	1 श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय 2 श्री दीनू राम, विभागीय (अतिरिक्त कार्यभार) 3 श्री अरुण भार्मा, हि0प्र0से0 4 श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय	01.04.2010 से 05.08.2010 06.08.2010 से 04.10.2010 05.10.2010 से 02.11.2010 02.11.2010 से 31.03.2011

12	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर	1 श्री राके T मेहता, हि0प्र0से0 2 श्री पंकज राज, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 3 श्री मनोज कुमार, हि0प्र0से0	01.04.2010 से 17.05.2010 17.05.2010 से 15.10.2010 15.10.2010 से 31.03.2011
13	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा	1. श्री संदीप नेगी, हि0प्र0से0 2. श्री रोहित राठौर, हि0प्र0से0 3. श्री ओंकार सिंह, विभागीय	06.04.2010 से 08.08.2010 19.08.2010 से 21.11.2010 22.10.2010 से 31.03.2011
14	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नाहन	1 श्री एच0के0 सु पील, विभागीय	01.04.2010 से 31.03.2011
15	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना	1. श्री एस0एल0सोडा, विभागीय 2. श्री कमलजीत भार्मा, विभागीय (अतिरिक्त कार्यभार)	01.04.2010 से 31.10.2010 01.11.2010 से 31.03.2011

परिवहन प्राधिकरण :

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत विभिन्न परिवहन मामलों का नियमन करने हेतु निम्न प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं :-

राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण :

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अन्तर्गत एक सदस्यीय प्राधिकरण स्थापित किया गया है जिसका अतिरिक्त कार्यभार सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया गया है। यह प्राधिकरण राज्य परिवहन तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलों की सुनवाई करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थित है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण :-

राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के क्रियाकलापों तथा नीतियों को समन्वित तथा नियमित करने, अर्न्तप्रादेशिक विवादों का निपटारा और परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणों पर नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पर्यटक वाहनों के पंजीकरण तथा समस्त भारत पर्यटक परमिट स्वीकृत करने का कार्य भी करता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन 25-1-1971 के बाद किया गया था। प्रतिवेदन वर्ष में राज्य परिवहन का गठन इस प्रकार किया गया है :-

सरकारी सदस्य :

- | | | |
|----|----------------------------------|------------|
| 1. | सचिव परिवहन, हिमाचल प्रदेश सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश | सदस्य |
| 3. | सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण | सदस्य सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री नवीन धीमान, पूर्व विधायक, परागपुर, कांगड़ा
2. श्री अजय राणा, सुन्दरनगर, मण्डी
3. श्री गन्धर्व सिंह, पूर्व विधायक, बनीखेत, चम्बा

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण :

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गठित किया गया है जोकि उस क्षेत्र में मोटर वाहनों के संचालन पर नियन्त्रण रखने का कार्य करता है । प्रतिवेदन वर्ष में इन प्राधिकरणों का गठन निम्न प्रकार से है :-

शिमला क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|---|---------|
| 1. निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला तथा किन्नौर के लिए | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री हीरा सिंह ठाकुर, सिरमौर
2. श्री इन्द्र सिंह मैहता, सोलन

धर्मशाला क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री निर्मल पठानिया, धर्म शाला, कांगड़ा
2. श्री सुदर्शन शर्मा, ऊना

मण्डी क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

1. निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी	सचिव
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू तथा लाहौल स्पिति के लिए	सचिव
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	सचिव
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर	सचिव

गैर-सरकारी सदस्य :-

1. श्री जैद नाथ, हमीरपुर
2. श्री दौलत राम शर्मा, बिलासपुर

परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली :

परिवहन विभाग सभी प्रकार के वाहनों के परमिट जारी करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यों का निर्वहन करना, हि0प्र0 के साथ लगते प्रदेशों के साथ अन्तर्राज्यीय स्टेज कैरिज, गुड्ज कैरिज सम्बन्धी पारस्परिक समझौते करना, यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत जो कि वर्ष, 1977 से लागू है, अनुग्रह राशि का भुगतान करना, राज्य परिवहन उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूंजी निवेश करना, भारतीय वाहन अधिनियम, हि0प्र0 मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा नियमों के अधीन समस्त करों की उगाही करना तथा नियमों की व्याख्या एवं कार्यन्वयन करना इत्यादि कार्य परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में शामिल हैं ।

राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य :

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत किया गया है जिसके सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य हैं तथा प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं :-

1. सम्पूर्ण भारत भ्रमण/प्रदेश के भीतर यात्री बसों/टैक्सियों तथा मैक्सी कैबों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिटों की स्वीकृति प्रदान करना ।
2. पर्यटकों की सुविधा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हि0प्र0 राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत भ्रमण तथा प्रदेश सीमा में यात्री बसों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है ।
3. मालभार वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी करना ।

प्रदेश में राष्ट्रीय परमिट भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (12) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमिट स्कीम वर्ष 1976 में लागू की गई है । राष्ट्रीय परमिट स्कीम से पहले क्षेत्रीय परमिट स्कीम विद्यमान थी । वर्ष 1976 से 1986 तक राष्ट्रीय परमिट कोटा प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये जाते थे किन्तु राष्ट्रीय परमिट से भारत सरकार द्वारा 1-4-1986 से प्रतिबन्ध हटा दिया गया तथा सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का अब किसी भी सीमा तक परमिट जारी करने का अधिकार है । प्रदेश में ऐसे परमिटों की स्वीकृति में गतिशीलता लाने हेतु प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हि0प्र0 को अधिकृत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण समय-2 पर सचिव (परिवहन) हि0 प्र0 सरकार जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा मोटर वाहन नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं ।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्य :

स्टेज कैरिज परमिट जारी करना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाते हैं । प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में निजी क्षेत्र तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में निम्न परमिट जारी किये हैं :-

बस का प्रकार	कुल जारी किये गये स्थाई परमिट
निजी क्षेत्र की बसें	296
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें	157
प्राइवेट सर्विस व्हीकल्ज़	356

माल भार वाहनों के परमिट जारी करना

प्रदेश में माल ढोने का कार्य मुख्यतः ट्रकों द्वारा ही किया जाता है जिनमें आलू, सेब तथा अन्य कृषि उत्पादों की समयबद्ध ढुलाई भी सम्मिलित है । अतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु गुडज़ कैरियर के लिए राज्य के परमिट जारी करना और राष्ट्रीय परमितों का नवीनीकरण भी किया जाता है । प्रतिवेदन वर्ष में जारी मालभार वाहक परमितों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. स्थाई परमिट	5159
2. राष्ट्रीय परमितों का नवीनीकरण	8140

समय सारिणी जारी करना

प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए समय-समय पर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्षता में संयुक्त समय सारिणी की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें निजी तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का आने तथा जाने का समय निर्धारित किया जाता है जिसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रतिहस्ताक्षर

किसी भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट किसी अन्य क्षेत्र में तब तक वैध तथा मान्य नहीं होता जब तक कि वह उस क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो इसी

प्रकार किसी एक राज्य का परमिट दूसरे राज्य में वैध नहीं होगा जब तक वह उस राज्य के राज्य प्राधिकरण या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो ।

इसके अतिरिक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आटो रिक्शा के पंजीकरण का कार्य भी किया जाता है जिसकी स्वीकृति व्यक्ति विशेष के पक्ष में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई हो। प्रतिवेदन वर्ष में नए पंजीकृत आटो रिक्शा की संख्या 91 है।

परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है।

विशेष पथ कर :

वर्ष 2000 से पहले बसों का यात्री कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता था । सरकार के निर्णय के अनुसार दिनांक 1-1-2000 से सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चलने वाली बसों से विशेष पथकर एकत्रित करके सूचना हर माह मुख्यालय को दी जाती है । प्रतिवेदन वर्ष 1.4.2010 से 31.3.2011 तक विशेष पथकर की एकत्रित राशि मु० 31.66 करोड़ रु० प्राप्त हुई है ।

विभाग के वित्तीय आंकड़े:-

परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है :-

मांग संख्या	लेखा शीर्ष	सहायता /उपदान	अनुदान /अंशदान
25	3055 / 190 / 01, गैर-योजना	90,00,00,00	अनुदान हेतु
25	5055 / 190 / 02 / योजना	17,70,00,000	पूजीगत परिव्यय
31	5055 / 796 / 01, योजना 5055 / 796 / 02, योजना	4,90,00,000 2,38,50,000	टी०ए०एस०पी० इन्वेस्टमेंट टी०ए०एस०पी० बस अड्डों एवं वर्षाशालिकाओं का निर्माण
32	5055 / 789 / 01 योजना	10,00,00,000	एस०टी०एस०पी०

विभाग द्वारा वर्ष 2010-2011 में व्यय की गई राशि तथा आय का मदवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

व्यय

(क)	3055-सड़क परिवहन, योजना	---
	3055-सड़क परिवहन, गैर योजना	5,26,90,190
	जोड़ :	5,26,90,190
(ख)	2041-वाहनों पर कर योजना	---
	2041-वाहनों पर कर, गैर-योजना	2,16,36,463
	जोड़ :	2,16,36,463

(ग)	3056—जल परिवहन गैर—योजना	4,16,983
		जोड़ 4,16,983
(घ)	2059—कार्यालय भवनों की मुरम्मत	2,000
	2235—यात्री अनुग्रह राशि	58,50,000
		जोड़ 58,52,000
आय		
	0041—वाहनों पर कर	1,63,01,94,903
	1055—सड़क परिवहन	जोड़ 79,77,974.00
		कुल जोड़ 1,63,81,72,877

बस अड्डों तथा वर्षा शालिकाओं का निर्माण

बस अड्डों का निर्माण बसों के रात्री ठहराव तथा बसों की आवाजाही पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे यात्रियों को धूप और वर्षा से बचाने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त स्थानों पर वर्षा शालिकाओं का निर्माण करवा कर आने-जाने वाले बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 1-4-2000 को हो चुका है। अब समस्त बस अड्डों से सम्बन्धित कार्य बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा ही किए जाते हैं।

यात्री अनुग्रह योजना

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां दुर्घटनाओं की आंका बनी रहती हैं। हि0प्र0 उन राज्यों में से एक है जिसके द्वारा बस दुर्घटनाओं में शिकार हुए लोगों के आश्रितों को तथा दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए 14-11-1977 से यात्री अनुग्रह योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि तभी दी जाती है यदि दुर्घटना हि0प्र0 राज्य की सीमा में हुई हो।

15-8-1998 से देय यात्री अनुग्रह राशि की दरें निम्न प्रकार से हैं :-

(क)	12 वर्ष तक की आयु के यात्री	50,000/-
(ख)	12 वर्ष से ऊपर की आयु के यात्री	1,00,000/-
	प्रतिवेदन वर्ष में कुल दी गई अनुग्रह राशि	रूपये 58,50,000/-

वाहनों के निरीक्षण उपरान्त पासिंग

सभी नए परिवहन वाहनों के यन्त्रवत और सही प्रचलन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का गठन नीचे दिया गया है। नये मोटर वाहन अधिनियम,

1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 जो कि जुलाई, 1989 से लागू है के अन्तर्गत नये वाहनों की पासिंग दो वर्ष के लिए की जाती है जबकि पुराने वाहनों की पासिंग एक वर्ष के लिए की जाती है ।

बोर्ड में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित है :-

1. सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, हि0प्र0
2. सभी मोटर वाहन निरीक्षक, हि0प्र0

वर्ष 2009-2010 में उपरोक्त कथित बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	कुल पास किए गये वाहन
1	बड़े माल-वाहन ,सभी प्रकार के	20874
2	छोटे मालवाहन ,सभी प्रकार के	19555
3	प्राइवेट सर्विस व्हीकल्ज़	392
4	स्टेज कैरिज बसें	4523
5	शिक्षा संस्थानों की बसें	958
6	कान्ट्रैक्ट कैरेज :	
	(क) ओमनी बसें	199
	(ख) टैक्सियां	5219
	(ग) मैक्सी कैब्ज़	4104
8.	एम्बुलैन्सें	216
9.	अन्य वाहन जो उपरोक्त में नहीं दर्शाए गए हैं।	5570
	कुल वाहन	61610

दिनांक 1-4-2010 से 31-3-2011 तक सभी मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा जारी चालक लाइसेंसों का विवरण :-

दिनांक 1-4-2010 से 31-3-2011 तक लिए गये कुल टैस्ट	64051
जितनों ने टैस्ट पास किया	53216
जितने अनुत्तीर्ण हुए	10835
अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेन्स	130

प्रदूषण चैकिंग

परिवहन विभाग, हि0प्र0 में पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 24 स्मोक मीटर व 25 गैस एनेलाईजर तथा 6 ध्वनि लैवल मीटर उपलब्ध हैं । इन यन्त्रों द्वारा

विभिन्न स्थानों पर वाहनों का प्रदूषण नियन्त्रण में है, का प्रमाण पत्र तीन मास के लिए जारी किया जाता है।

जिन वाहनों का प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है उनके वाहन स्वामियों को वाहनों की मुरम्मत करने के लिए कहा जाता है तथा दूसरी बार चैक करके यदि प्रदूषण नियन्त्रण में है तो प्रदूषण नियन्त्रण जांच का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। उपरोक्त में दर्शाये गए यन्त्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं :-

क्र० सं०	स्थान	स्मोक मीटर	गैस एनेलाईजर	ध्वनी लेवल मीटर
1.	शिमला मुख्यालय	1	1	—
2.	तारादेवी	1	1	1
3.	रामपुर	1	1	—
4.	भावानगर	1	1	—
5.	सोलन	1	1	1
6.	नालागढ़	1	1	—
7.	नाहन	1	1	—
8.	पांवटा साहिब	1	1	—
9.	बिलासपुर	1	1	—
10.	मण्डी	1	1	1
11.	सुन्दरनगर	1	1	—
12.	कुल्लू	1	1	1
13.	मनाली	1	1	—
14.	धर्मशाला	1	1	1
15.	पालमपुर	1	1	—
16.	जसूर	1	1	—
17.	डमटाल	1	1	—
18.	चम्बा	1	1	—
19.	बनीखेत	1	1	—
20.	ऊना	1	1	—
21.	गगरेट	1	1	—
22.	हमीरपुर	1	1	1
23.	नदौन	1	1	—
24.	दाड़लाघाट	1	1	—
25.	परवाणू	—	1	—
	कुल..	24	25	6

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 67 निजी व अर्ध सरकारी संस्थाओं को प्राधिकृत किया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	चैक सैन्टर का नाम व पता
1	मै० संगड़ाई आटो सर्विस ऑपोज़िट शीतला माता मन्दिर, पालमपुर, कांगड़ा
2	मै० सिंकन्द एन्ड कम्पनी, चम्बाघाट, सोलन

3	मै0 जमदग्नी मोटर्ज, पतली कुहल, कुल्लू
4	मै0 सोलन आटोमोबाईल प्रा0 लि0, दघोटा, कुमारहट्टी, सोलन
5	मै0 सुकुमार सर्विस स्टेशन, रघुनाथपुरा, बिलासपुर
6	मै0 मोटोवर्ड मारुति ऑथोराईज्ड सर्विस स्टेान, नवबहार, िमला
7	मै0 लक्ष्मी आटो वर्कस, बिन्द्राबन, पालमपुर, कांगड़ा
8	मै0 परमार आटो एकजॉस्ट एनालाईज़र सर्विस, नगरोटा कांगड़ा
9	मै0 सिकन्द एण्ड कम्पनी, नगरोटा बगवां, कांगड़ा
10	मै0 हिमाचल आटो इंजीनियरिंग वर्क ऑप, भूपपुर, पौन्टा साहिब, सिरमौर
11	मै0 गोयल मोटर प्रा0 लि0 तारादेवी, िमला
12	मै0 कॉम्पिटैन्ट आटोमोबाईल कम्पनी लि0, गुटकर, मण्डी
13	मै0 जे0 के0 आटोमोबाईलज़, भुट्टी कलौनी, शम पी, कुल्लू
14	मै0 सतिन्द्र कौाल, नंगल रोड, ऊना
15	मै0 भगवती आटोमोबाईलज़, सौलीखड्ड, मण्डी
16	मै0 महाजन सर्विस स्टेशन, गोली, चम्बा
17	मै0 संगम आटोसेलज़, ठाकुरद्वारा, पालमपुर, कांगड़ा
18	मै0 राजवीर आटो सर्विस स्टेान, परसदास गार्डन, िमला
20	मै0 बित्तम गैरेज़ खनैरी, रामपुर बुहैहर, िमला
21	मै0 पठानकोट व्हीकलएडस, प्रा0 लि0 मलां, कांगड़ा
22	मै0 वन्दना आटोमोटिव वर्कस, नेर चौक, मण्डी
23	मै0 सिटी आटोज़ोन, कसुम्पटी, िमला
24	मै0 नवीन आटोस्टोर, घुमारवीं, बिलासपुर
25	मै0 िव शक्ति आटोमोबाईलज़, मुबारिकपुर, ऊना
26	मै0 कमल आटोमोबाईलज़, दाड़लाघाट, अर्की, सोलन
27	मै0 िवभूमि आटोमोबाईलज़, सुलतानपुर, चम्बा
28	मै0 एम0 के0 आटोसेन्टर, टूटू, िमला
29	मै0 उत्तम आटो इंजीनियरिंग वर्कस, धनोटू, सुन्दरनगर, मण्डी
30	मै0 कृष्णा आटोमोबाईलज़, चुहाबाग, रामपुर बुहैहर, िमला
31	मै0 महाजन आटोमोबाईल, शाहपुर,, कांगड़ा
32	मै0 दुर्गा सर्विस स्टेान, ज्वालामुखी, कांगड़ा
33	मै0 विजय स्पेयर पार्टस, चम्बाघाट, सोलन
34	मै0 अमर बैट्रीज़ आटोस्टोर, मेन बाज़ार, जसूर, कांगड़ा
35	मै0 कृष्ण चन्द, नियर एच0आर0टी0सी0 वर्क ऑप, ऊना
37	मै0 मधु टायर्ज/आटोमोबाईलज़, केदारपुर, पौन्टासाहिब, सिरमौर
38	मै0 हिमाचल फिलिंग स्टेान जसूर, कांगड़ा
39	मै0 कॉम्पिटैन्ट आटोमोबाईल कं0 लि0, डिडवीं टिककर, हमीरपुर
40	मै0 नाग आटोमोबाईलज़, पपरोला, कांगड़ा
41	मै0 रुप इंजीनियरिंग वर्कस, पतलीकूहल, कुल्लू
42	मै0 उमे T भारद्वाज, भट्टू, कांगड़ा
43	मै0 टेक्नोकेयर सैन्टर, जोगिन्द्रनगर, मण्डी

44	मै० रंगील सिंह ठाकुर, डुग्गा मटनसिद्ध, हमीरपुर
45	मै० संदीप एजैन्सीज, धर्म ाला रोड, कांगड़ा
46	मै० सुरे ा कुमार, गांव कुराह, बडसर, हमीरपुर
47	मै० जो ि मोटर्ज, ठियोग, िमला
48	मै० अल्पस आटोमोबाईल्ज, दोसड़का, हमीरपुर
49	मै० अभिषेक, आटोमोबाईल्ज, साराबाई, कुल्लू
50	मै० हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्म ाला, मण्डी
51	मै० हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्म ाला, जसूर, कांगड़ा
52	मै० लक्ष्मी पी० सी० सी० पक्का भरोह, हमीरपुर
53	मै० हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्म ाला, चम्बा
54	मै० शर्मा गैरेज, अम्ब रोड, ऊना
55	मै० डोगरा वर्क ाँप, हटवास, कांगड़ा
56	मै० तपन मोटर्ज, बडोग, सोलन
57	मै० एच० पी० ऑटोकेड, विकासनगर, िमला
58	मै० वितराग मोटर्ज, हॉस्पिटल रोड नाहन, सिरमौर
59	मै० महावीर फिलिंग स्टे ान, भांबला, मण्डी
60	मै० बी० एस० मोटर्ज, सोलन
61	मै० जे०पी० मोटर्ज, गांव अणजी बडोग, बाई पास सोलन
62	मै० क्लासिक मोटर्ज गैरिज जसूर, जिला कांगड़ा
63	मै० गोयल मोटर्ज दियोंघाट, जिला सोलन
64	मै० श्रीमति अनिता चंदेल, रौडा सैक्टर बिलासपुर
65	मै० लक्ष्मी पी०सी०सी० सिविल लाईन्स धर्म ाला
66	मै० रजत ठाकुर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा
67	मै० पवन कुमार धीमान, देहरा ज्वालाजी रोड, नगरोटा सूरीयां जिला कांगड़ा

चालक प्रशिक्षण स्कूल :नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी:

परिवहन विभाग द्वारा अच्छे प्रि ाक्षित चालक उपलब्ध करवाने हेतू निजी व सरकारी क्षेत्र में 124 चालक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	स्कूल का नाम व पता
1	मै० ग्रोवर ट्रेनिंग स्कूल, सोलन
2	मै० रमौल ड्राईविंग स्कूल, पौन्टा साहिब, सिरमौर
3	मै० साई ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, विकास नगर, िमला
4	मै० हार्डलैण्ड ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, न्यू िमला
5	मै० शीतला ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुन्दरनगर, मण्डी
6	मै० नर्सिन्गा ड्राईविंग स्कूल, चैल चौक, मण्डी
7	मै० ठाकुर मोटर गैरेज एण्ड सर्विस स्टे ान, हमीरपुर
8	मै० ब्यास मोटर ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी

9	मै0 शर्मा ड्राईविंग स्कूल, अम्ब, ऊना
10	मै0 शर्मा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जियाना, अणु, हमीरपुर
11	मै0 िव शक्ति ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बालूगंज, िमला
12	मै0 टिप-टॉप मोटर ट्रेनिंग स्कूल, सोलन
13	मै0 धीमान ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जयसिंहपुर, कांगड़ा
14	मै0 हिल ड्राईविंग स्कूल,बी0सी0एस0, िमला
15	मै0 जैन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नदौण, हमीरपुर
16	मै0 कोरना ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सिविल लाईन, धर्म ाला, कांगड़ा
17	मै0 अरुणा मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बिन्द्राबन, पालमपुर, कांगड़ा
18	मै0 शर्मा ड्राईविंग स्कूल, मैहरे, बड़सर, हमीरपुर
19	मै0 हिमाचल ड्राईविंग स्कूल, भट्टाकुफर, िमला
20	मै0 शाह आटो ड्राईविंग स्कूल, धुरकड़ी, कांगड़ा
21	मै0 नलागढ़ ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नालागढ़, सोलन
22	मै0 संगम मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, चम्बा
23	मै0 अमर ड्राईविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, गगल, कांगड़ा
24	मै0 सिरमौर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नाहन, सिरमौर
25	मै0 हिमानी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, चुराग, करसोग, मण्डी
26	मै0 ठाकुर मोटर ड्राईविंग स्कूल, ठियोग, िमला
27	मै0 रोहडू ड्राईविंग स्कूल, रोहडू, िमला
28	मै0 एवरेस्ट ड्राईविंग स्कूल, पुरानी मण्डी, मण्डी
29	मै0 हार्डलैण्ड ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर, िमला
30	मै0 आर0 जे0 ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, दोसडका, हमीरपुर
31	मै0 राति ा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, राजगढ़ रोड़, सोलन
32	मै0 अंकु मोटर ड्राईविंग स्कूल, सोलन
33	मै0 अनमोल ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बद्दी, सोलन
34	मै0 सिद्धार्थ मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, मोहाल, कुल्लू
35	मै0 िवालिक ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, समरहिल, िमला
36	मै0 महाजन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, गोली, बनीखेत, चम्बा
37	मै0 राजू मोटर ड्राईविंग स्कूल, परवाणू, सोलन
38	मै0 भारत, ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, पपरोला, कांगड़ा
39	मै0 चन्देल ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बिलासपुर
40	मै0 विष्णु ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, टूटीकण्डी, िमला
41	मै0 कृष्णा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, टूटू, िमला
42	मै0 सैनी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, डडौर, मण्डी
43	मै0 महामाया ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, पन्थाघाटी, िमला
44	मै0 गुडलक ड्राईविंग स्कूल, रिकांगपियो, किनौर
45	मै0 शूलिनी मोटर ड्राईविंग स्कूल, सोलन
46	मै0 साहिल ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रिकांगपियो, किनौर
47	मै0 अमर मोटर ड्राईविंग स्कूल, राजगढ़, सिरमौर

48	मै0 ए0 आर0 ड्राईविंग स्कूल, पंचरुखी, पालमपुर, कांगड़ा
49	मै0 िव िक्ति ड्राईविंग स्कूल, सिद्धपुर, धर्म ाला, कांगड़ा
50	मै0 राज ड्राईविंग स्कूल, दोसड़का, हमीरपुर
51	मै0 अराधना ड्राईविंग स्कूल, रोहडू िमला
52	मै0 शुशांक ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, टूटू िमला
53	मै0 बावा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुन्दरनगर, मण्डी
54	मै0 मेहता ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नेरवा चौपाल, िमला
55	मै0 रोहाल ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, भट्टाकुफर, िमला
56	मै0 हिलटॉप ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जोगिन्द्रनगर, मण्डी
57	मै0 द मे ि, दून मोटर ड्राईविंग स्कूल, भूपपुर, पौन्टा साहिब, सिरमौर
58	मै0 स्याल ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर
59	मै0 शुभम ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, हटवास, नगरोटा बगवां, कांगड़ा
60	मै0 जीत ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बीर, बैजनाथ, कांगड़ा
61	मै0 रो िन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, घुमारवीं, बिलासपुर
62	मै0 हिमाचल मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जाहू, हमीरपुर
63	मै0 आयुष ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सौलीखड्ड मण्डी
64	मै0 साक्षी ड्राईविंग स्कूल, घडसरी, चिडगांव, िमला
65	मै0 पाली ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, कुट्टी, करसोग, मण्डी
66	मै0 सक्षम ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, साड़ाबाई, कुल्लू
67	मै0 गौडगिफ्ट ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बगोरा, पालमपुर कांगड़ा
68	मै0 राजेन्द्रा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, हलोग धामी, िमला
69	मै0 हाईवे ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर, िमला
70	मै0 मुके ि कुमार, सबाथू, सोलन
71	मै0 हिम ड्राईविंग स्कूल, अप्पर सुल्तानपुर, कुल्लू
72	मै0 समर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुल्तानपुर, सोलन
73	मै0 सैनी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नालागढ़, सोलन
74	मै0 शर्मा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नाहन, सिरमौर
75	मै0 जयभाले, ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जयसिंहपुर, कांगड़ा
76	मै0 दीपक ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, पिरडी, कुल्लू
77	मै0 ठाकुर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, आवाहदेवी, हमीरपुर
78	मै0 स्याल मुम्बई ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, अणु हमीरपुर
79	मै0 बालाजी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सिविल बाज़ार धर्म ाला, कांगड़ा
80	मै0 रोहित ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, ज्यूरी, रामपुर, िमला
81	मै0 भागसू ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, धर्म ाला कैन्ट, मैकलोडगन्ज, कांगड़ा
82	मै0 कैलिबरा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, पुंग, सुन्दरनगर, मण्डी
83	मै0 भारद्वाज ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, भट्टू बैजनाथ, कांगड़ा
84	मै0 राधारानी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, चन्दपुर, बिलासपुर
85	मै0 नैनामाता ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, चन्डयाल बल्ह, मण्डी
86	मै0 विकास ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, अवाहदेवी, (सरौन) सरकाघाट, मण्डी

87	मै0 सिल्क रूट ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रिकांगपिओं, किन्नौर
88	मै0 हाईवे ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, छतरोकढी, सुन्दरनगर, मण्डी
89	मै0 देवी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, खनैरी, तै0 रामपुर, िमला
90	मै0 दुर्गा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, कोहला, ज्वालामुखी, कांगडा
91	मै0 फ्रेंड्स ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नाहन, सिरमौर
92	मै0 गुरु ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, ऊना
93	मै0 हाईवे टॉप ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, खलीनी, िमला
94	मै0 अंकित ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, पुहारा, कांगडा
95	मै0 हिमाचल हाई ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी
96	मै0 मारुती ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, गुम्मा, मण्डी
97	मै0 सोढी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रबोन, सोलन
98	मै0 आ गीश ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रिकांगपिओ
99	मै0 हैप्पी यंग ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुन्दरनगर, मण्डी
100	मै0 मां लक्ष्मी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नेर चौक, मण्डी
101	मै0 लक्ष्मी, ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जयसिंहपुर, जिला कांगडा
102	मै0 भार्मा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रोहडू तै0 रोहडू जिला िमला
103	मै0 थिकर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, छोलथरा
104	मै0 प्लांट मैनेजर, आई0 ओ0 सी0 एल0, इंडेन बॉटलिंग प्लान्ट रायपुर सहोरन, जिला उना
105	मै0 ठाकुर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बस्सी भोरंज जिला हमीरपुर
106	मै0 न्यू गीतला ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुन्दरनगर जिला मण्डी
107	श्री योग राज भारद्वाज मै0 काल्टा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, कुमारसैन, जिला िमला
108	प्रिसिपल आई0 टी0 आई0 सोलन जिला सोलन
109	प्रिसिपल आई0 टी0 आई0 भाम गी जिला कुल्लू
110	मै0 आर0 के0 जसवाल, ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, गडीयारा, जिला कांगडा
111	मै0 बाबा नाहर सिंह, ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नोग जिला बिलासपुर
112	मै0 राजे वर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रेहान, जिला कांगडा
113	मै0 राज एण्ड राज ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बन्थल, जिला मण्डी
114	मै0 गणे ा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सैन्थल, जिला मण्डी
115	मै0 राधे-राधे ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, धुमारवीं जिला बिलासपुर
116	मै0 पारस ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, भरेड़ी, जिला हमीरपुर
117	मै0 िव भाक्ति ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी जिला मण्डी
118	मै0 सुजल हाइड्रो जे0सी0बी0 ट्रेनिंग सेन्टर, सुन्दरनगर जिला मण्डी
119	मै0 नैना ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, ढांगू जिला मण्डी
120	मै0 नैना ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, रोपा, जिला मण्डी
121	मै0 ज्योत्सना ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, टौणी देवी, जिला हमीरपुर
122	मै0 दामे ा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जिला सोलन
123	मै0 इंडियन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, धुमारवीं जिला बिलासपुर
124	मै0 समर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, कुमारहट्टी जिला सोलन

भारी परिवहन वाहन चालक प्रििक्षण संस्थान :-

भारी परिवहन वाहनों का प्रििक्षण प्राप्त करने के लिय 5 चालक प्रििक्षण संस्थान खोले गए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1.	हिमाचल पथ परिवहन निगम तारादेवी, शिमला
2.	हिमाचल पथ परिवहन निगम, मण्डी
3.	हिमाचल पथ परिवहन निगम, जसूर
4.	आई0 टी0 आई0 अम्ब, ऊना
5.	मैसर्ज न्यूटैक ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल बगला, सुन्दरनगर, मण्डी

हल्के परिवहन वाहन चालक प्रििक्षण संस्थान :-

हल्के परिवहन वाहनों का प्रििक्षण प्राप्त करने के लिए 11 चालक प्रििक्षण संस्थान खोले गए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	मै0 अमर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, राजगढ़, सिरमौर
2.	मै0 नरसिंघा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुन्दरनगर, मण्डी
3.	मै0 धीमान ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जैसिंहपुर, कांगड़ा
4.	मै0 रमौल ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, पौंटा, सिरमौर
5.	मै0 ठाकुर मोटर गैरिज एण्ड सर्विस स्टेान, हमीरपुर
6.	मै0 अरूणा ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, बिन्द्रावन, पालमपुर
7.	मै0 नालागढ ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, नालागढ, सोलन
8.	मै0 समर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, सुलतानपुर, सोलन
9.	मै0 आई टी आई नालागढ, जिला सोलन
10.	मै0 महाजन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, गोली, नजदीक बनीखेत बथरी, चम्बा
11.	मै0 राधा रानी ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, कोठी चौक, चांदपुर, बिलासपुर